

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

19<sup>11</sup>/<sub>24</sub> - पत्नी वकील जेरा डुरे। वादी  
 व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण  
 में वादी व वादी वकील को बार-बार  
 अवाज लगवाते जाने के बावजूद भी  
 वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं  
 हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण  
 को वादी व वादी वकील आगे चलाने  
 रखने के इच्छित नहीं हो रहे हैं।  
 अतः अ. नं. 125/16 द्वारा कानून  
 पत्र वनाम लेखन वगैरह अहकाम पेश  
 व अहकाम कागिरी के खासिल किया  
 जाया है। पत्नी वकील सुभाष  
 की नाक, नम्बरान से अहकाम करते  
 हुए कानून दफ्तर को।

